न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07 / 2014

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
भाटो की सोसायटी कलाली जरिये सदस्य थाना पुत्र हरजाज जाति भाट निवासी कलाली		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्र मेवाडा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 6/2012 सरकार बनाम भाटो की सोसायटी कलाली में पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस में कथन किया कि ग्राम कलाली के खसरा नम्बर 381/36 की भूमि अपीलाण्ट को सामूहिक कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी। जिस पर अपीलाण्ट सहित अन्य सदस्यगण काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रोहट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन शर्तो की अवहेलना बताते हुए आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रेकर्ड का अवलोकन किये तथा रेवेन्यू कोर्टस मैन्यूअल के प्रावधानों की पालना किये बिना जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में किए गए आवंटन को खारिज कर दिया। रेवेन्यू कोर्टस् मैन्यूअल के नियम 30 में यह प्रावधान है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी आज्ञापक है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत ही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय मात्र इस आधार पर पारित किया गया कि सामूहिक काश्त करने के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि अपीलाण्ट द्वारा गिरदावरी की नकले प्रस्तुत की, जिसमें काश्त दर्ज है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि जैर अपील वादस्थ भूमि पर काश्त हो रही है अथवा नही। इस तथ्य को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः नजरअन्दाज कर दिया गया। प्रतिवर्ष ऑडिट करवाया जाना आज्ञापक नहीं है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश का आधार लिया गया है। वर्तमान में सोसायटी अस्तित्व में है, जिस पर सोसायटी के सदस्यगण काश्त करते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज किया जाकर विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1997 पेज 538 तथा आर0आर0डी0 1992 पेज 129 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें समस्त तथ्यों को रेखांकित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा सामूहिक रूप से कृषि कार्य नहीं किया जाता है तथा आवंटन शर्तो की अवहेलना होने के कारण तहसीलदार रोहट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रोहट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कृषि सहकारी समिति को भूमि आवंटन नियम 1959 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट/अप्रार्थी को ग्राम कलाली के खसरा नम्बर 381/36 का सामूहिक कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया था। वर्तमान में सोसायटी के सदस्यों द्वारा उक्त भूमि पर काश्त नहीं की जाती है तथा न ही भूमि सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त सोसायटी के संविधान अनुसार किसी प्रकार की ऑडिट भी नहीं करवाई गई है। सोसायटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जा रही है एवं सोसायटी की लीज नवीनीकरण भी नहीं करवाई गई है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक अपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सोसायटी के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष काश्त की जाती है तथा आवंटन शर्तो की पालना की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू–आवंटन) नियम 1959 में सहकारी समिति को भूमि आवंटन के प्रावधान वर्णित है। इसके नियम 5 में आवंटन की शर्ते विहित है, जिसमें पट्टे का नवीनीकरण करवाया जाना आज्ञापक है। इसके अतिरिक्त सहकारी समिति को भूमि पर प्रतिवर्ष काश्त करनी आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दोनों शर्तो की अवहेलना होना मानते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सम्माननीय है तथा यह तथ्य भी विधिक दृष्टिकोण से उचित है कि आदेश की प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है, जैसा कि राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल 1956 के नियम 30 में प्रावधित किया है, किन्तु यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू–आवंटन) नियम 1959 के नियम 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना की है, जिसके कारण आवंटन को कायम रखा जाना, विधि विरूद्ध कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाना होगा। इस कारण तकनीकि कारणों को गौण रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 8/2012 सरकार बनाम भूमिहीन सहकारी सोसायटी अरटीया में पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली